रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2016/ ज्येष्ठ 2, 1938
No. 365]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2016/JYAISTHA 2, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 23 मई, 2016

सा.का.नि. 540(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 8) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) कंपनी बोर्ड, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित इसके सीएसआर क्रियाकलापों के वचनबंध के लिए निर्णय कर सकेगा,--

(क) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, कंपनी द्वारा स्थापित या तो एकल या किसी अन्य कंपनी के साथ माध्यम कर सकेगा, या

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संसद् या राज्य विधान-मंडल के अधीन स्थापित किसी अस्तित्व के माध्यम से कर सकेगा :

परंतु यह कि यदि, कंपनी बोर्ड अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी के माध्यम से इसके सीएसआर क्रियाकलापों को वचनबंध के लिए निर्णय करता है या रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी इस उपनियम में विनिर्दिष्ट से ऐसी भिन्न कंपनी के वचनबंध एक समान

कार्यक्रम या परियोजना के वचनबंध में तीन वर्ष के पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड को स्थापित करेगी और कंपनी वचनबंध किए जाने वाली परियोजनाएं या कार्यक्रमों, ऐसी परियोजनाएं और कार्यक्रम की उपयोगिता की प्रकारताओं एवं मॉनीटर और रिपोर्ट करने वाले यंत्र को विनिर्दिष्ट किया है"।

[फा. सं. 05/12/2016-सीएसआर-सेल]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 129(अ) तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ) तारीख 12 सितंबर, 2014 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 43(अ) तारीख 19 जनवरी, 2015 में संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2016

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred under section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Board of a company may decide to undertake its CSR activities approved by the CSR Committee, through

(a) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the company, either singly or alongwith any other company, or

(b) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government or any entity established under an Act of Parliament or a State legislature :

Provided that- if, the Board of a company decides to undertake its CSR activities through a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, other than those specified in this sub-rule, such company or trust or society shall have an established track record of three years in undertaking similar programs or projects; and the company has specified the projects or programs to be undertaken, the modalities of utilisation of funds of such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism".

[F. No. 05/12/2016-CSR-Cell]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Joint Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide number G.S.R. 129(E),* dated the 27th February, 2014 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014 and notification number G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.